न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र.।

निगरानी क्र.- R-3147-III/14 सन्-2014

1. तुलसीदास चौरसिया तनय हीरालाल चौरसिया आयु-48 वर्ष,
2. जगदीश चौरसिया तनय हीरालाल चौरसिया आयु-35 वर्ष,
3. रमेश चौरसिया पिता रामदास चौरसिया आयु-45 वर्ष,
4. प्रेमचन्द्र तनय श्री रामदास चौरसिया आयु-42 साल,
5. ओंकार चौरसिया पिता रामदास चौरसिया आयु-40 साल,
6. सुभाष चौरसिया तनय श्री सुरेश चन्द्र चौरसिया आयु-40 साल,
7. मोहनलाल चौ० पिता रामदास चौरसिया उ० 55 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम बारीगढ़ तहसील गौरिहार जिला - छतरपुर (म.प्र.) ------ ---------- निगरानीकर्तागण

बनाम

1. शिवप्रसाद चौरसिया पिता जगन्नाथ चौरसिया आयु-42 साल
2. निवासी ग्राम बारीगढ़ तहसील गौरिहार जि. छतरपुर म.प्र.

शासन म.प्र. ---------- ------------ गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, जुझारनगर तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. के रा.प्र.क्र. - 04/अ-3/13-14 में पारित तरमीम आदेश 14-8-14

महोदय,

निगरानीकर्तागण श्रीमान् के न्यायालय में निम्न निगरानी प्रस्तुत कर विनय करते हैं :-

((निगरानी के तथ्य))

1- यह कि भूमि आराजी नं.-8 रकबा 0.299 लगान 5.55 पैसे स्थित ग्राम बारीगढ़ तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. की भूमि निगरानीकर्तागण एवं गैरनिगरानीकर्तागण की पैत्रिक संयुक्त परिवार की शामि-

कार्यालय कलेक्टर जिला छतरपुर म.प्र. पक्षकार का नाम ... दिनांक 20/8/14

क्रमांक 2902
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 8-9-14 को प्राप्त
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3147–तीन/2014 जिला छतरपुर

तुलसीदास चौरसिया आदि विरूद्ध शिवप्रसाद चौरसिया आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार नौगांव जिला छतरपुर के नक्शा तरमीम प्रकरण कमांक 4/अ–3/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 14–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9--2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 6–5–2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 07/3/19	